भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1475

दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली

1475. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री राजकुमार चाहरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जलविद्युत प्रशुल्क को कम करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट प्रशुल्क संशोधन उपाय शुरू किए गए हैं;

(ख) जलविद्युत परियोजनाओं और पम्प भंडारण परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क माफी कब तक प्रभावी रहने की संभावना है; और

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में घोषित किए जाने के बाद बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को कौन-कौन से विशिष्ट लाभ प्रदान किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ग) : भारत सरकार ने जलविद्युत को आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों को मंजूरी दी है:

1) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता।
2) जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षम अवसंरचना अर्थात् (i) सड़कों/पुलों (ii) रेलवे साइडिंग (iii) पूलिंग सब-स्टेशन का उन्नयन सहित पूलिंग पॉइंट तक पारेषण प्रणाली (iv) संचार अवसंरचना एवं (v) रोपवे की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए बजटीय सहायता।
3) जलविद्युत परियोजनाओं और पंप स्टोरेज परियोजनाओं से विद्युत पारेषण हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार की छूट।
4) विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन, दिनांकित 08.03.2019 के माध्यम से विकासकर्ताओं को (i) परियोजना अवधि को 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद टैरिफ की बैक लोडिंग, (ii) ऋण चुकौती अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं (iii) 2% की दर से टैरिफ में वृद्धि करके टैरिफ निर्धारित करने की सुविधा प्रदान की है।

इसके अलावा, सरकार ने बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए हैं:

1) गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में जलविद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)।

2) पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को राज्य संस्थाओं एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम भागीदारी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।

(ख) : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 के अनुसार, वे जलविद्युत परियोजनाएं जहां (क) पीपीए दिनांक 01.12.2022 को या उसके बाद लेकिन दिनांक 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षरित किए गए हों तथा (ख) निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2025 को या उससे पहले अवार्ड किया गया है, पर विद्युत के पारेषण पर कोई आईएसटीएस प्रभार नहीं लगाया जाएगा। तदुपरांत, वे जलविद्युत परियोजनाएं जहां दिनांक 30.06.2025 के बाद निर्माण कार्य अवार्ड किया गया है एवं पीपीए हस्ताक्षरित किया गया है, उन पर निम्नलिखित ट्रैजेक्टरी के अनुसार आईएसटीएस प्रभार लगाया जाएगा:

क्रम सं.	**पीपीए हस्ताक्षरित होने एवं निर्माण कार्य अवार्ड किए जाने की तारीख**	**आईएसटीएस प्रभार**
1.	दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 तक	प्रयोज्य आईएसटीएस प्रभार का 25%
2.	दिनांक 01.07.2026 से 30.06.2027 तक	प्रयोज्य आईएसटीएस प्रभार का 50%
3.	दिनांक 01.07.2027 से 30.06.2028 तक	प्रयोज्य आईएसटीएस प्रभार का 75%
4.	दिनांक 01.07.2028 से	प्रयोज्य आईएसटीएस प्रभार का 100%

यह छूट इन परियोजनाओं के शुरू होने की तारीख से 18 वर्ष की अवधि के लिए दी गई है।

पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए, विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या- 12/07/2023-आरसीएम,दिनांकित 29.05.2023 के साथ पठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 के अनुसार वे पंप स्टोरेज परियोजनाएं, जहाँ निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2025 तक अवार्ड किया गया है, उन पर विद्युत के पारेषण पर कोई आईएसटीएस प्रभार नहीं लगाया जाएगा। तदुपरांत, वे पंप स्टोरेज परियोजनाएं जहां दिनांक 30.06.2025 के बाद निर्माण कार्य अवार्ड किया गया है, उन पर निम्नलिखित ट्रैजेक्टरी के अनुसार आईएसटीएस प्रभार लगाया जाएगा:

क्रम सं.	**निर्माण कार्य अवार्ड किए जाने की तारीख**	**आईएसटीएस प्रभार**
1.	दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 तक	प्रयोज्य आईएसटीएस प्रभार का 25%
2.	दिनांक 01.07.2026 से 30.06.2027 तक	प्रयोज्य आईएसटीएस प्रभार का 50%
3.	दिनांक 01.07.2027 से 30.06.2028 तक	प्रयोज्य आईएसटीएस प्रभार का 75%
4.	दिनांक 01.07.2028 से	प्रयोज्य आईएसटीएस प्रभार का 100%

यह छूट इन परियोजनाओं के शुरू होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए दी गई है।

****